

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था. कैम्प/2018

जयपुर, दिनांक 25.06.2018

—: आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था.कैम्प/ 2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018 द्वारा जिले के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अन्तः जिला एवं अन्तर जिला स्थानान्तरण किये गये थे । उक्त आदेशों में कुछ प्रकरणों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कार्मिक को प्रासंगिक आदेश में अंकित शर्तानुसार राहत प्रदान करने, दोहरा पदस्थापन होने, पद रिक्त नहीं होने, सहवन से लेवल अथवा विषय गलत अंकित हो जाने/परिवीक्षाकाल पूर्ण हुए बिना स्थानान्तरण हो जाने/पात्रता न होने पर भी स्थानान्तरण हो जाने आदि की स्थितियों के कारण पालना नहीं की जा सकी है। उक्त स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के माध्यम से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों के क्रम में टोंक जिले में निम्नानुसार स्थानान्तरण संशोधन तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	स्था. आदेश में क्र. सं.	नाम एवं पद (लेवल विषय सहित)	कहां से	कहां को	संशोधन का विवरण	राज्य सरकार के आदेश पत्रावली संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	272	सीताराम कीर अध्यापक लेवल-1	राउप्रावि आरवाड़ा, बामनटुकड़ा राजसमन्द	राप्रावि गोपालपुरा, रूपवास उनियारा टोंक 08220620301	स्थानान्तरण स्थान राप्रावि गोपालपुरा पायगा, उनियारा नें लेवल-1 रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
2	248	उमेश धामुनिया अध्यापक लेवल-1	राउप्रावि मवासा, खैराबाद कोटा	राउप्रावि अम्बापुरा, मालपुरा टोंक 08220101501	स्थानान्तरण स्थान राबाउप्रावि अम्बापुरा टोरडी, मालपुरा में लेवल-1 के रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
3	51	मीनाक्षी मीणा अध्यापक लेवल-2 विज्ञान गणित	राबाउप्रावि डारडाहिन्द टोंक 08220206603	राउप्रावि हरिपुरा बनवाड़ा, टोंक 08220209204	स्थानान्तरण स्थान राउप्रावि हरिपुरा निवाई में लेवल-2 विज्ञान गणित के रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
4	415	छोटूलाल जाट अध्यापक लेवल-2 सामाजिक विज्ञान	राबाउप्रावि बबराना, भूपालसागर चित्तोड़गढ़	राउप्रावि रामपुराबास बगड़ी, मोरला मालपुरा 08220108101	स्थानान्तरण स्थान राउप्रावि आकोडिया, निवाई में लेवल-1 के रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
5	238	महावीर बैरवा अध्यापक लेवल-1	राप्रावि अजमानियों की ढाणी भीमसागर, शेरगढ़ जोधपुर	राउप्रावि नीमेड़ाखुर्द, मूण्डियाकलां, टोडारायसिंह टोंक 08220407601	स्थानान्तरण स्थान राप्रावि रामनिवासपुरा टोडारायसिंह में लेवल-1 के रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
6	240	मनोज कुमार स्वर्णकार अध्यापक लेवल-1	राप्रावि मेघवालों की ढाणी पंडितजी की ढाणी, ओसियां जोधपुर	राप्रावि गलवानिया टापरा, मोहम्मदपुरा उनियारा 08220606402	स्थानान्तरण स्थान राउप्रावि रोशनपुरा उनियारा में लेवल-1 के रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
7	434	नरेन्द्र कुमार शर्मा अध्यापक लेवल-2 हिन्दी	राउप्रावि खीमावतों का खेड़ा, भिण्डर उदयपुर	राबाउप्रावि बहड़ निवाई 08220301406	स्थानान्तरण स्थान राउप्रावि बहकवा, निवाई लेवल-2 हिन्दी के रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
8	355	सीमा चौधरी अध्यापक लेवल-1	राप्रावि बैरवाढाणी प्रतापपुरा, मालपुरा 08220112508	राउप्रावि नीमेड़ाखुर्द, टोडारायसिंह टोंक 08220407601	स्थानान्तरण स्थान राप्रावि भीलों की ढाणी संवारिया टोडारायसिंह में लेवल-1 के	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18

①

Signature

क्र. सं.	स्था. आदेश में क्र. सं.	नाम एवं पद (लेवल विषय सहित)	कहां से	कहां को	प्रस्तावित संशोधन का विवरण	राज्य सरकार के आदेश पत्रावली संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
					रिक्त पद पर संशोधन	
9	182	मुकेश माली अध्यापक लेवल-2 सामाजिक विज्ञान	रा.उत्कृष्ट प्रावि भीमड़ावास, केकड़ी अजमेर	राउप्रावि संग्रामपुरा बीजवाड़ देवली टोंक 08220521202	स्थानान्तरण राउप्रावि संग्रामपुरा बीजवाड़ देवली में अध्यापक लेवल-1 के पद पर	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
10	338	सैयद अब्दुल वाजिद अध्यापक लेवल-2 सामान्य	राप्रावि धोला का खेड़ा, मालपुरा 08220104902	राप्रावि राधागोविन्दपुरा, सेदरियाखुर्द, निवाई 08220313201	अध्यापक का मूल पद अध्यापक लेवल-2 सामान्य के स्थान पर प्रबोधक लेवल-1	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
11	98	बीना सोलंकी अध्यापक लेवल-1	राप्रावि रहमानदिया, टोंक 08220219201	राप्रावि किशनपुरा, डाबडडुम्बा, टोडारायसिंह 08220406001	स्थानान्तरण स्थान राप्रावि कल्याणपुरा कुर्मियान, टोडारायसिंह में लेवल-1 के रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
12	435	मीनाक्षी अध्यापक लेवल-2 संस्कृत	राबाउप्रावि गुढाकलां, सोजत पाली	राप्रावि गोविन्दपुरा, हतोना 08220208701	स्थानान्तरण स्थान राउप्रावि तालिबपुरा टोंक में लेवल-2 संस्कृत के रिक्त पद पर संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
13	66	मोहन कंवर अध्यापक लेवल-2 सामाजिक विज्ञान	राउप्रावि बाढ़ दामोदरपुरा निवाई 08220302101	राउप्रावि सिटी नं. 3 निवाई 08220323203	वर्तमान पदस्थापन स्थान राउप्रावि दामोदरपुरा निवाई संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
14	942 जयपुर	कन्हैयालाल मीणा अध्यापक लेवल-2 हिन्दी	राउप्रावि मालपुरा	राउप्रावि रूपपुरा, बस्सी जयपुर	वर्तमान पदस्थापन स्थान राउप्रावि सैलसागर, मालपुरा संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
15	65	बाबूलाल यादव अध्यापक लेवल-2 सामान्य	राउप्रावि रघुनाथपुरा पारली मालपुरा 08220110007	राबाउप्रावि टा.नं. 5 मालपुरा टोंक	स्थानान्तरण पर स्थान राउप्रावि टा.नं. 5 मालपुरा टोंक संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
16	233	दुर्गालाल रैगर अध्यापक लेवल-1	राप्रावि मूंगीथला, दूदू जयपुर	राबाउप्रावि भावलपुर मालपुरा टोंक	स्थानान्तरण पर स्थान राउप्रावि भावलपुर मालपुरा टोंक संशोधन	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
17	286	रामकृष्ण शर्मा शारीरिक शिक्षक	राबाउप्रावि घाड़ देवली 08220505802	राउप्रावि कालीवाड़ मालपुरा टोंक 08220112524	स्थानान्तरण निरस्त	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18
18	129	सन्तोष कुमार खंगार अध्यापक लेवल-2 गणित विज्ञान	राउप्रावि पथराजमुस्तका निवाई 08220312303	राबाउप्रावि अरनियामाल 08220202601	स्थानान्तरण निरस्त	प.5(5)प्राशि/स्था. कैम्प/2018 जयपुर दिनांक 31.05.18

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

- 1 संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 2 संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/ न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

2

[Handwritten Signature]


- 3 प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोड़कर) शिक्षक विहीन न हो जावे।
- 7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। यदि कार्मिक शपथ पत्र देने से इंकार करे तो कार्मिक से इस बाबत लिखित में लिया जावे।
- 8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31-12-2012 के पश्चात की हो तो, उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31-12-2008 के पश्चात की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 12 लेवल द्वितीय गणित-विज्ञान एवं अग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 13 लेवल-2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल-2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।
- 14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनको कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगो से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हे कार्यमुक्त न किया जावे एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हे पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावे।
- 16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/पीईईओ स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक दिनांक 30/06/18 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा दोषी अधिकारी /कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 01 जुलाई 2018 को अपने जिले के ऐसे प्रकरणों की सूचना मय सूची निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 17 पीईईओ द्वारा आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित बीईईओ इसकी सूचना जिशिअ प्राशि को देंगे तथा जिशिअ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव बना कर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे
- 18 स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावे।

(3)

Ligam


- 19 स्थानांतरण प्रक्रिया में इस विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.04.16, 24.06.16 एवं 06.07.16 से जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे ।
- 20 क्रम संख्या ...पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा ।

यह शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री (प्रारम्भिक शिक्षा-स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
- 2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
- 5 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
- 7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सम्बन्धिम पीईईओ के माध्यम से कराने का श्रम करावें।
- 8 शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर को पोर्टल पर मॉड्यूल द्वारा मैपिंग किये जाने हेतु प्रेषित है (पत्र क्रमांक : प. 5(5)प्रा.शिक्षा/2018 जयपुर,दिनांक 22.06.18 के विन्दु सं. 6 के क्रम में)
- 9 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।
- 10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को पालना हेतु ।
- 11 संबंधित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को पालना हेतु ।
- 12 रक्षित पत्रावली।


(जगदीश नारायण जाट)
अनुभाग अधिकारी

4